



कुछ राज्यों के लिये वशीष प्रावधान



# कुछ राज्यों के लिये विशेष प्रावधान

संविधान के भाग XXI में अनुच्छेद 371 से 371-J के तहत 12 राज्यों को कानून और व्यवस्था के मुद्दों को संबोधित करने, सांस्कृतिक एवं आर्थिक हितों की रक्षा करने या अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये विशेष प्रावधान दिये गए हैं।

## अनुच्छेद 371, महाराष्ट्र और गुजरात

- (६) 26 जनवरी, 1950 से संविधान का हिस्सा
- (७) राज्यपाल उत्तरदायी\*

## अनुच्छेद 371A, नगालैंड

- (८) द्वारा जोड़ा गया (Added by): 13वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1962
- (९) तुएनसांग ज़िले के लिये 35 सदस्यों वाली क्षेत्रीय परिषद् की स्थापना
- (१०) राज्यपाल शांति, प्रगति, कानून व्यवस्था और अच्छी सरकार के लिये नियम बना सकता है
- (११) संसद अधिनियम\*

## अनुच्छेद 371B, असम

- (१२) द्वारा जोड़ा गया: 22वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1969
- (१३) राष्ट्रपति ने जनजातीय क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्यों को शामिल करते हुए विधानसभा (LA) की एक समिति के निर्माण को अधिकृत किया

## अनुच्छेद 371C, मणिपुर

- (१४) द्वारा जोड़ा गया: 27वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1971
- (१५) राष्ट्रपति ने विधानसभा की एक समिति के निर्माण को अधिकृत किया जिसमें पर्वतीय क्षेत्रों के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे
- (१६) प्रशासन पर राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये राज्यपाल को नियुक्त करता है

## अनुच्छेद 371 D & E, आंध्रप्रदेश और तेलंगाना

- (१७) द्वारा जोड़ा गया: 32वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1973
- (१८) अनुच्छेद 371 D:
  - (१) राष्ट्रपति आंध्रप्रदेश के लोगों को सार्वजनिक रोज़गार और शिक्षा में समान अवसर और सुविधाएँ प्रदान कर सकते हैं
  - (२) राष्ट्रपति को प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना के अधिकार प्रदत्त हैं
- (१९) अनुच्छेद 371E:
  - (३) संसद को केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये प्रावधान करने का अधिकार प्रदान करता है

## अनुच्छेद 371-F, सिक्किम

- (२०) द्वारा जोड़ा गया: 36वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1975
- (२१) संसद द्वारा मौजूदा कानूनों, रीति-रिवाज़ों और आधिकारों का सम्मान एवं संरक्षण प्रदान करता है
- (२२) लोकसभा में सिक्किम के लिये एक सीट आवंटित की गई जिससे एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का निर्माण होता है
- (२३) विधानसभा में सदस्य संख्या: ≥30

## अनुच्छेद 371-G, मिज़ोरम

- (२४) द्वारा जोड़ा गया: 53वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1986
- (२५) संसद अधिनियम\*
- (२६) विधानसभा में सदस्य संख्या: ≥40
- (२७) अनुच्छेद 371H, अरुणाचल प्रदेश
- (२८) द्वारा जोड़ा गया: 55वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1986
- (२९) कानून एवं व्यवस्था के संबंध में राज्यपाल के विशेष उत्तरदायित्व राष्ट्रपति के निर्देश पर समाप्त हो जाते हैं
- (३०) विधानसभा में सदस्य संख्या: ≥30

## अनुच्छेद 371-I, गोवा

- (३१) द्वारा जोड़ा गया: 56वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1987
- (३२) विधानसभा में सदस्य संख्या: ≥30

## अनुच्छेद 371J, हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र (कल्याण कर्नाटक)

- (३३) द्वारा जोड़ा गया: 98वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2012
- (३४) राज्यपाल उत्तरदायी\*

### नोट

#### संसदीय अधिनियम\* से आशय:

- निम्नलिखित मामलों पर राज्य विधानसभा की सहमति के बिना संसद के अधिनियम लागू नहीं होते:-
  - (१) धार्मिक एवं (२) प्रथागत कानून (३) ज़मीन के (४) न्याय सामाजिक प्रथाएँ और प्रक्रिया अधिकार

#### राज्यपाल उत्तरदायी\* से आशय:

##### राज्य का राज्यपाल उत्तरदायी होता है-

- (१) राज्य विधानसभा (LA) के समक्ष वार्षिक रूप से एक रिपोर्ट रखने का प्रावधान करने हेतु अलग विकासबोर्ड की स्थापना
- (२) विकासात्मक व्यय के लिये धन का न्यायसंगत आवंटन
- (३) शैक्षणिक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों, राज्य सरकार के पदों में न्यायसंगत व्यवस्था (अनुच्छेद 371)/ सीटों का आरक्षण (अनुच्छेद 371-J)

और पढ़ें: [अनुच्छेद 371](#), [अनुच्छेद 371 \(A-J\)](#)

PDF Reference URL: <https://www.drishtilas.com/hindi/printpdf/special-provisions-for-some-states-1>

